बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06–रा0का0II–02/2013 6632   खाद्य, पटना/दिनांक 19.08.15

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बढ़े हुए परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का पत्र सं0– 8136 दिनांक 27.12.2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि SECC डाटा के आधार पर लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु व्यापक दिशा–निदेश दिये गये हैं । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तत्समय उपलब्ध कराये गये कुल 7.60 करोड़ पात्र व्यक्तियों की संख्या के आलोक में उक्त श्रेणी के राशन कार्ड जिलों द्वारा उपलब्ध कराया गया है ।

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्र सं0– 235755 दिनांक 24.06.2015 द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC)11 सर्वेक्षण के अन्तर्गत अंतिम सूची के प्रकाशन के उपरांत सभी जिलों में ग्रामीण पात्र परिवारों के सदस्यों का 7,62,76,273 डाटा, शहरी पात्र परिवारों के सदस्यों का 85,70,400 डाटा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पात्र परिवारों के सदस्यों का 12,80,998 डाटा एवं 45 साल तक की पात्र विधवा महिला का 1,67,064 डाटा उपलब्ध कराया गया है । इस प्राप्त डाटा के आधार पर जिलों में पूर्व से पहचान किये गये परिवारों को अलग कराते हुए बढ़े हुए परिवारों का डाटाबेस सभी जिलों को दिनांक 11.07.2015 को उपलब्ध कराया गया है । सभी जिलों से इसके आधार पर बढ़े हुए परिवारों/व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता संबंधी अधियाचना भी प्राप्त किया गया है । इन परिवारों को खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है ।

आप अवगत है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पात्र परिवारों को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना है । उक्त अधिनियम की धारा 13(1) एवं (2) के अनुसार प्रत्येक पात्र गृहस्थी में, वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम की न हो, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थी की मुखिया होगी । जहाँ किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री अथवा अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किन्तु अठारह वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है तो वहाँ गृहस्थी का वरिष्ठ पुरूष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशन कार्डो के लिए, पुरूष सदस्य के स्थान पर, गृहस्थी की मुखिया बन जाएगी ।

सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की डाटाबेस से बढ़े हुए पात्र परिवारों से संबंधित सॉफ्टवेयर एन0आई0सी0, पटना द्वारा सभी जिलों को उक्त डाटा को

e-PDS में Migration हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है एवं सभी जिलों द्वारा अतिरिक्त चिन्हित लाभुकों का Standerdized राशन कार्ड का डाटाबेस भी तैयार किया जा चुका है ।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में अन्त्योदय श्रेणी के गृहस्थियों को पीला रंग का राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना है । इन परिवारों को भी नया राशन कार्ड दिया जाना अपेक्षित हो गया है क्योंकि अधिनियम लागू होने के पूर्व में निर्गत राशन कार्डों में अधिनियम की धारा 13(1) एवं (2) के अनुरूप गृहस्थी की वरिष्ठ महिला का नाम इस प्रयोजन के लिए मुखिया के रूप में नहीं है । अतः अन्त्योदय श्रेणी के गृहस्थियों को पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशन कार्डों को वापस अथवा रद्द कर उनके लिए नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाय ।

राशन कार्ड मुद्रण के समय यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन अन्त्योदय परिवार एवं पूर्विकताप्राप्त लाभार्थी का राशन कार्ड मुद्रण कराया जा रहा है, उसका नाम SECC आधारित आकड़ों के पात्र परिवारों की सूची में शामिल हो । उक्त डाटाबेस (SECC डाटाबेस) से अलग यदि कोई राशन कार्ड मुद्रण या वितरण कराया जाता है तो इसकी पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा उन्हीं SECC आकड़ों के आधार पर जिन्हें नेशनल सर्वर पर अपलोड किया गया है, खाद्यान्न का आवंटन किया जा रहा है ।

राशन कार्ड मुद्रण में होने वाले व्यय हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अलग से आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा । इसके लिए कुल परिवारों की संख्या, राशन कार्ड की संख्या, मुद्रण का दर एवं इसमे आने वाले कुल व्यय के संबंध में विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

अनुरोध है कि उक्त निदेशों का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में उक्त परिवारों को अविलंब राशन कार्ड का वितरण सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

19/8/15

मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–रा0का0II–02/2013 6632 खाद्य, पटना/दिनांक 19.08.15

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/8/15

मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–रा0का0II–02/2013 6632 खाद्य, पटना/दिनांक 19.08.15

प्रतिलिपि – राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/8/2015

सरकार के सचिव ।

(57

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06–रा0का0II–02 / 2013 | 17 खाद्य, पटना / दिनांक 8/01/2014

प्रेषक,

शिशिर सिन्हा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी को स्लेटी (Grey) रंग का राशन कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र सं0– 8136 दिनांक 27.12.2013 एवं पत्र सं0– 03 दिनांक 01.01.2014 के प्रसंग में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिये गये है ।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के लाभुकों को निम्नलिखित रंग के राशन कार्ड पूर्व में उपलब्ध कराये गये है :–

अन्त्योदय अन्न योजना	–	पीला
बी0पी0एल0 योजना	–	लाल
ए0पी0एल0 योजना	–	हरा
अन्नपूर्णा योजना	–	सफेद

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 के लागू होने के पश्चात् अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के लाभुकों से संबंधित पूर्व निर्गत राशन कार्ड का रंग यथावत् रखा जाएगा किन्तु SECC की अंतिम सूची के आधार पर विभागीय पत्रों के आलोक में चयनित पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी हेतु राशन कार्ड का रंग स्लेटी (Grey) रखने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी को स्लेटी (Grey) रंग का राशन कार्ड निर्धारित समय–सीमा के अन्दर उपलब्ध कराया जाय ।

विश्वासभाजन
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–रा0का0II–02 / 2013 | 17 खाद्य, पटना / दिनांक 8/01/2014

प्रतिलिपि – सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव ।

D:\YEARS - 2012\SECTION - 06\Ration Coupon.doc